प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0)

उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में

1–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,

उत्तर प्रदेश,

2–जिला विद्यालय निरीक्षक,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक सा0(1) शि0/2409-2503/2017–18 दिनांक 08|06|.2017

विषयः राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) में कार्यरत प्रवक्ता/सहायक अध्यापक जो छात्र संख्या शिक्षक के मानक/अनुपात से अधिक कार्यरत हैं के समायोजन संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में बडी संख्या में ऐसे राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) संचालित हैं जिसमें छात्र संख्या के मानक/अनुपात से अधिक प्रवक्ता/सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, ऐसी स्थिति में उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के कम में शासनादेश संख्या–8125/15–8– 3086/74 दिनांक 25 मई,1977 संशोधित शासनादेश संख्या–1871/15–8–99/3056 दिनांक 09 अगस्त 1999(प्रति संलग्न) में निहित प्राविधानानुसार निर्धारित मानक/अनुपात से अधिक प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों का उन विद्यालयों में समायोजन किया जाना है जहां मानक/अनुपात से कम प्रवक्ता/सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को सप्ताह में 12 वादन तथा इण्टर कक्षाओं के अध्यापक को 30 वादन प्रति सप्ताह व अन्य अध्यापक को 36 वादन प्रति सप्ताह अध्यापन का कार्य किया जाना है। यदि इण्टर कक्षाओं में एक प्रवक्ता हेतु 02 वादन के छात्र अध्ययनरत हैं तो उसे 6 से 10 की कक्षाओं में 03 वादन का अध्यापन कार्य करना होगा । इस प्रकार प्रवक्ता द्वारा 06 से 10 तक अध्यापन कार्य किये जाने से सहायक अध्यापक के कार्य की पूर्ति हो जाने से **सहायक अध्यापक सरप्लस घोषित माना जायेगा।** तद्नुसार सरप्लस शिक्षकों की गणना की जाय।

उक्त स्थिति में कक्षा–6 से 10 तक छात्र संख्या के अनुपात में सहायक अध्यापक तथा कक्षा–11 से 12 तक में छात्र संख्या के अनुपात में प्रवक्ताओं की आवश्यकता को आगणित करते हुए **सरप्लस सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं का विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना है ।**

अतः समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उ0 प्र0 को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित शासनादेश के अनुसार जिन राजकीय विद्यालयों में मानक/अनुपात से अधिक प्रवक्ता/स0अ0 कार्यरत हैं, उनका सम्पूर्ण विवरण संलग्न प्रारूप पर बालक/बालिका विद्यालय की सूचना पृथक–पृथक अपने मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से दिनांक 12–6–2017 की सांय तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13–6–2017 को अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक आहूत की गयी है जिसमें समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ही प्रतिभाग करेंगे। अतः वांछित सूचना अपने मण्डल के जिला विद्यालय निरीक्षको से तत्काल संग्रहीत कर अपने **मण्डल की संकलित सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर Excel में तैयार कराकर** दिनांक **13–6–2017 को आहूत बैठक में अनिवार्यरूप से सूचना के साथ प्रतिभाग करें।** प्रकरण पर विलम्ब किसी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। अतएव आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है ।

संलग्नक 1–प्रारूप
2–शासनादेश

भवदीय,
7.6.17
(अमर नाथ वर्मा)
शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन सख्या मा0(1) शि0/ 2409-2503 /2017–18 तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
02. अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं प्रभावी अनुश्रवण के साथ–साथ इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचनाओं के साथ दिनांक 13–6–2017 को बैठक में प्रतिभाग करें ।

7.6.17
(अमर नाथ वर्मा)
शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद

पत्रांक / 3595 /2017–18 दिनांक 08-06-2017

प्रतिलिपिः प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय उ0मा0विद्यालयों को उपरोक्त प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना दिनांक 10.06.2017 को प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

08/6/2017
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

प्रारूप

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	प्रवक्ता / स0अ0 का नाम एवं जन्मतिथि	स्नातक के विषय	स्नात–कोत्तर के विषय	विद्यालय में कार्यरत रहने की तिथि एवं वर्ष	प्रवक्ता / स0अ0 द्वारा एक सप्ताह में पढाये जाने वाले वादनों की संख्या	संबंधित प्रवक्ता / स0अ0 द्वारा किन– किन कक्षाओं में पढाया जाता है	कक्षा–6, से 10 तक में अध्ययन छात्रों की संख्या	कक्षा–11 से 12 तक में अध्ययरन छात्रों की संख्या	सरप्लस सहायक अध्यापक / प्रवक्ता का नाम एवं विषय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11